दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स बिहार

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (Bihar Sports University Bill, 2021) 3
- जन्म-मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर 3
- रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण 4
- बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित 4

नोट :

बिहार

बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (Bihar Sports University Bill, 2021)

चर्चा में क्यों ?

- 27 जुलाई, 2021 को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- बिहार सरकार के कला-संस्कृति, खेल व युवा मामलों के मंत्री डॉ. आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
- इस विधेयक के पास होने के उपरांत बिहार देश का छठा राज्य बन गया, जहाँ खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि बिहार से पूर्व गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु व राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं।
- इस विधेयक के ज़रिये बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर (नालंदा) में होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से बन रही स्पोर्ट्स अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी।
- इस विश्वविद्यालय में बिहार राज्य की महिलाओं के लिये विशेष आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

बिहार को इससे होने वाले लाभ

- इससे बिहार एक 'स्पोर्टिंग पॉवर' वाले राज्य में विकसित हो सकेगा।
- बिहार के खिलाड़ियों को एक बेहतर माहौल व आधारिक खेल अवसंरचना प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि खेल से संबंधित मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी दूसरे राज्यों की तरफ से खेलने लगते थे।
- बिहार राज्य के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण के साथ ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हेतु बेहतर सुविधा मिलेगी।
- आरक्षित सीटों से महिलाओं को खेलों के प्रति अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार खेल के क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ेगी।

जन्म-मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार सरकार ने जन्म-मृत्यु का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कोरोना काल में मौत के आँकड़े आने में हुई परेशानी के बाद यह निर्णय लिया गया है।
- आईटी विभाग की ओर से यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही इस पर जन्म-मृत्यु का ब्योरा अपलोड होने लगेगा। इसके साथ ही बिहार जन्म-मृत्यु के आँकड़े सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- जन्म-मृत्यु का विवरण अपलोड करने की तैयारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से की जा रही है। आँकड़े अपलोड करने का माध्यम वार्ड पार्षद बनेंगे।
- शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद के माध्यम से यह आँकड़ा निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पास आएगा, जिसे वे पोर्टल पर अपलोड कराएंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आँकड़े वार्ड पार्षद के माध्यम से BDO के पास जाएगा, जिसे ज़िला की ओर से पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।

नोट :

- गौरतलब है कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में नगर विकास तो ग्रामीण क्षेत्रों में योजना विकास विभाग के माध्यम से जन्म-मृत्यु के आँकड़ों को निबंधित किया जा रहा है। पोर्टल के लॉन्च हो जाने के बाद आँकड़े अपलोड करने की ज़िम्मेवारी शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग की होगी।

रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर दो किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में बिहार की हिस्सेदारी से इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निगम करेगा, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है।
- झारखंड में गढ़वा ज़िले के श्रीनगर और बिहार में रोहतास ज़िले में नौहट्टा के पंडुका के बीच यह पुल बनेगा। पुल के साथ लगभग 68 किमी. नई सड़क भी बनेगी।
- 210 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से मार्च 2024 तक यह पुल तैयार होगा। इसके बन जाने से रोहतास ज़िले का पलामू से संपर्कता के साथ ही इससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाएँगे।
- गढ़वा के श्रीनगर और रोहतास के पंडुका के बीच करीब दो किमी. लंबे पुल के बन जाने से गढ़वा ज़िले के मझिआंव, कांडी, विशुनपुरा, बरडीहा, भवनाथपुर आदि प्रखंड के लोगों को वाराणसी जाने के लिये 80 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी।
- इसी के साथ पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला आदि ज़िलों के अलावा छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों को जीटी रोड पकड़ने या वाराणसी जाने के लिये तीसरा विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।

बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 17 अगस्त, 2021 को बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। ये चुनाव 11 चरणों में संपन्न होंगे, जिसकी अधिसूचना 24 अगस्त, 2021 को जारी होगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
- 24 अगस्त, 2021 को अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। 24 सितंबर, 2021 को पहले चरण का और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर, 2021 को होगा। इस तरह राज्य में करीब ढाई महीने तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी।
- बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे।
- गौरतलब है कि छह पदों के लिये ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ज़िला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं।
- गौरतलब है कि पहली बार राज्य में 11 चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं।
- पहला चरण: 24 सितंबर, 2021; दूसरा चरण: 29 सितंबर, 2021; तीसरा चरण: 08 अक्टूबर, 2021; चौथा चरण: 20 अक्टूबर, 2021; पाँचवा चरण: 24 अक्टूबर, 2021; छठा चरण: 03 नवंबर, 2021; सातवाँ चरण: 15 नवंबर, 2021; आठवाँ चरण: 24 नवंबर, 2021; नौवाँ चरण: 29 नवंबर, 2021; 10वाँ चरण: 08 दिसंबर, 2021; 11वाँ चरण: 12 दिसंबर, 2021।

नोट :